बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेवसाइट E-mail

पत्रांकः–BRRDA(HQ)-PMGSY-**137**/2024 - 3096 अनु० /पटना,दिनांक– 19-10-2024

प्रेषक,

श्रीप्रकाश,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, **आरा** ।

विषयः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक– 16-10-2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित दिनांक– 16-10-2024 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन
19/10/24
(श्रीप्रकाश)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)-PMGSY-**137**/2024 - 3096 अनु० /पटना, दिनांक– 19-10-2024

प्रतिलिपिः अनु0 के साथ मुख्य अभियंता–**1**, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **आरा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/10/24
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)-PMGSY-**137**/2024 - 3096 /पटना, दिनांक– 19-10-2024

प्रतिलिपिः IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/10/24
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक– 16-10-2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–
श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।
श्री श्रीप्रकाश, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।
श्री मनोज कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव, BRRDA।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी **01** निविदा के तकनीकी बीडों पर अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, आरा की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वितीय बीडों [जो संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-PMGSY-137/2024 के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ–151 से 132 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :–

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ara	BR07P3FDR04 (BR07P3R15 BR07P3R18)	(i) T03-AGIAON TO BAGAPUL (ii) T01-NH 30 KAYAMNAGAR TO MANIKPUR RAZAPUR VIA DUMARIYA MATHURAPUR CHAKIA (Tender Id-134977)	22.07.2024	2692.7	6	2	SANJAY KUMAR SINGH	2825.79289	(-)0.05	2824.37999	स्वीकृत।

3. स्वीकृत निविदा के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगेः–

(i) इस योजना पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(ii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धत दर, Bid Capacity आदि सही है।

(iii) संवेदक Defaulter/निलबंन/काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।

4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।

5. **संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:–**

(i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका–7)

(ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका–9)

(iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका–13)

(iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या–15)

(v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र–संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका–16)

(vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका–17)

(vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका–31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या–18)

(viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका–44.1)

(ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका–51)

(x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका–52.2 (a)]

(xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका–52.2 (c)]

(xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका–46.2 & 52.2(d)]

6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।

7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।

8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।

9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।

(मनोज कुमार) अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव, BRRDA	(श्रीप्रकाश) अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग	(दीपक कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव, ग्रा0का0वि0–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA